योजनाओं का विस्तृत विवरण एवं उपलब्धि

शैक्षणिक योजनायें :

अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा कई शैक्षणिक योजनायें चलायी जा रही हैं। इनमें मुख्यतः प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, प्रवेशिकोत्तर संस्थाओं एवं प्रावैधिकी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना हैं। इसके अतिरिक्त आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों का संचालन, पुस्तक अधिकोष की स्थापना, प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, मुशहर एवं भुईंया जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना एवं अस्वच्छ कार्यों में जो परिवार लगे हुए हैं उनके बच्चों के लिए विशेष दरों पर छात्रवृत्ति की योजनायें भी मुख्य रूप से संचालित हैं।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :

प्रवेशिकोत्तर में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये योजना, गैर योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित हैं। इस योजना के तहत् मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्रा को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं दरों के अनुरूप छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान हैं। इस योजना के तहत् संबंधित दिशा–निर्देश भारत सरकार की वेबसाईट www.socialjustice.nic.in तथा राज्य सरकार की वेबसाईट www.scstwelfare.bih.nic.in पर देखा जा सकता हैं।

छात्रवृत्ति के लिये अर्हत्ता :–

- बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हो ।
- अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख पच्चास हजार रू0 से कम होनी चाहिए।
- मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम एवं मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए ।

छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित भत्ता देय है :–

- अनुरक्षण भत्ता
- अनिवार्य शुल्क (लौटाने वाले शुल्क छोड़कर)
- अन्य भत्ता

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों (चार ग्रुपों में वर्गीकृत) में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के मासिक अनुरक्षण भत्ता की दर नामांकन की तिथि से निम्नवत् देय हैं :–

(राशि ₹ मे प्रति माह)

क्रमांक	ग्रुप	दिवाकालीन	छात्रावासी
1	I	550/–	1200/–
2	II	530/–	820/–
3	III	300/–	570/–
4	IV	230/–	380/–

समूह के अनुसार पाठयक्रमों का विवरण :–

ग्रुप	पाठयक्रम
I	i) Degree and Post Graduate level courses including M.Phil., Ph.D., and Post Doctoral research in Medicine (Allopathic, Indian and other recognised systems of medicines), Engineering, Technology, Planning, Architecture, Design, Fashion Technology, Agriculture, Veterinary & Allied Sciences, Management, Business Finance/ Administration , Computer Science/ applications. ii) Commercial Pilot Licence (including helicopter pilot and multiengine rating) course. iii) Post Graduate Diploma courses in various branches of management & medicine. iv) C.A,/ I.C.W.A./C.S./I.C.F.A. etc. a) M. Phill., Ph.D. and Post Doctoral Programmes (D. Litt., D.Sc. etc.)- b) In existing group II courses c) In existing Group III courses iv) L.L.M.
II	i) Graduate/ Post Graduate courses leading to Degree, Diploma, Certificate in areas like Pharmacy (B Pharma), Nursing (B Nursing), LLB, BFS, other para-medical branches like rehabilitation, diagnostics etc. Mass Communication, Hotel Management & Catering, Travel/Tourism/Hospitatility Management, Interior Decoration, Nutrition & Dietetics, Commercial Art, Financial Services (e.g. Banking, Insurance, Taxation etc.) for which entrance qualification is minimum Sr. Secondary (10+2). ii) Post Graduate courses not covered under Group I e.g. MA / M.Sc. / M.Com / M.Ed / M.Pharma etc.
III	All other courses leading to a graduate degree not covered under Group I & II e.g. BA/B.Sc/B.Com etc.
IV	All Post-matriculation level non-degree courses for which entrance qualification is High School (Class X), e.g. senior secondary certificate (class XI and XII); both general and vocational stream, ITI courses, 3 year Diploma courses in Polytechnics, etc.

अनिवार्य शुल्क :–

अनिवार्य शुल्क के अर्न्तगत निम्नांकित मद सम्मिलित है: –

1. नामांकन
2. निबंधन
3. शिक्षण
4. खेल–कूद
5. युनियन
6. पुस्तकालय
7. पत्रिका
8. चिकित्सा जाँच
9. उपरोक्त के अलावा अन्य अनिवार्य शुल्क जिसका भुगतान छात्र/छात्राओं द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय/बोर्ड को किया जाता है, देय होते हैं। संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओं को लौटाई जानेवाली शुल्क यथा, काशन मनी, सेक्युरिटी डिपोजिट की राशि सम्मिलित नहीं होती है।

अन्य भत्ता :–

उपरोक्त के अलावा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित योजना के तहत निर्धारित अन्य भत्ता देने का प्रावधान हैं।

वर्ष 2015–16 में अनुसूचित जाति के लिए ₹18175.00 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹820.00 लाख आवंटित किये गये हैं।

वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जाति के लिए ₹15300.00 लाख रुपये एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹1220.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित हैं।

विद्यालय छात्रवृत्ति :

राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग –1 से 10 तक में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

विद्यालय छात्रवृत्ति का दर निम्नवत है :–

(राशि ₹ में)

क्रमांक	वर्ग	दर प्रति माह
1	1–4	50/–
2	5–6	100/–
3	7–10	150/–
4	छात्रावासी वर्ग 1 से 10.	250/–

वर्ष 2015–16 में योजना मद से अनुसूचित जाति के लिए ₹53857.62 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹5100.00 लाख आवंटित किये गये हैं जिससे 53,66,006 छात्र/छात्रा लाभान्वित हुए हैं।

वर्ष 2016–17 में योजना मद से अनुसूचित जाति के लिए ₹51600.00 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹5596.00 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित हैं।

केन्द्र–प्रायोजित योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

केन्द्र–प्रायोजित योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ग IX एवं X के छात्र/छात्राओं के लिये संचालित है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र/छात्राओं के अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय ₹2.00 लाख (दो लाख रू०) से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

छात्रवृत्ति की दर निम्नवत हैं :–

क्रमांक	वर्ग	दिवाकालीन	छात्रावासी	अवधि
1	IX	150/–	350/–	10 माह
2	X	150/–	350/–	10 माह
3	पुस्तक एवं तदर्थ अनुदान	750/–	1000/–	वार्षिक

उपरोक्त के अलावा विभिन्न प्रकार के निःशक्त छात्र/छात्राओं को मासिक ₹160/– एवं मंद बुद्धि तथा मानसिक विक्षिप्त को मासिक कोचिंग भत्ता ₹240/– दिये जाने का प्रावधान हैं।